कंप्यूटर संख्या: 144230
फ. क्र. : J2-0101/11/2024-HCOI
हज कमेटी ऑफ इंडिया
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
अनुभाग: एकाउंट्स

बैत-उल-हुज्जाज (हज हाउस)
7-ए, एम.आर.ए. मार्ग (पल्टन रोड)
मुंबई-400001
दिनांक: 20-08-2025

हज – 2026
09

परिपत्र

विषय: हज 2026 (1447) एच - अग्रिम हज धनराशि जमा करने और लघु हज यात्रा की घोषणा की अंतिम तिथि का विस्तार।

दिनांक 13.08.2025 के परिपत्र संख्या 08 के संदर्भ में, ₹1,52,300.00 (अग्रिम हज राशि - ₹1,50,000.00; विविध देय राशि - ₹2,000.00; और गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क - ₹300.00) जमा करने की अंतिम तिथि एतद्द्वारा 25.08.2025 तक बढ़ाई जाती है। सभी अनंतिम रूप से चयनित हज यात्रियों, जिनमें लघु हज के लिए चुने गए हज यात्री भी शामिल हैं, को निर्धारित समय के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है।

2. यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन आवेदकों ने लघु हज का विकल्प चुना था और कुर्रा (डिजिटल रैंडम चयन) प्रक्रिया के दौरान हज के लिए अनंतिम रूप से चुने गए थे, उन्हें लघु हज पैकेज आवंटित किया गया है।

3. ऊपर बताए अनुसार भुगतान निम्न में से किसी एक माध्यम से किया जा सकता है:
क. https://hajcommittee.gov.in या हज सुविधा ऐप पर उपलब्ध ई-भुगतान सुविधा, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके।

या

ख. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में निर्दिष्ट पे-इन-स्लिप, प्रत्येक कवर नंबर के लिए HCoI वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक संदर्भ संख्या का उपयोग करके।

4. प्रत्येक कवर के लिए प्रदान की गई विशिष्ट बैंक संदर्भ संख्या जमा रसीद में अंकित होनी चाहिए।
5. धनराशि जमा करने के बाद, हज यात्रियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हज समिति को 30.08.2025 तक जमा करने होंगे।
क) औपचारिक घोषणा और वचन के साथ हज आवेदन पत्र (HAF) की हस्ताक्षरित प्रति
ख) भुगतान पर्ची/ऑनलाइन रसीद की प्रति
ग) चिकित्सा जाँच और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार)
6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हज समितियाँ, हज यात्रियों से उपरोक्त सभी दस्तावेज़ प्राप्त होने के तुरंत बाद, हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगी।
7. हज यात्रियों को अग्रिम हज धनराशि जमा करने और दस्तावेज़ जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि का कड़ाई से पालन करना होगा, अन्यथा उनकी हज सीट रद्द कर दी जाएगी।

22/8/25

(शानवास सी, आईएएस)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि:
1. संयुक्त सचिव (हज), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी अधिकारी, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हज समितियाँ।
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई मुख्य शाखा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नल बाज़ार शाखा, मुंबई।
4. प्रभारी, कंप्यूटर अनुभाग, हज कमेटी ऑफ इंडिया, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।